# न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा ( नागौर ) राजस्थान

अज अदालतः– सुभाष हेमानी ( R.T.S )

निर्णय दिनांक 16.10.2018

प्रकरण संख्या :–83 / 2018

प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

पटवार मण्डल बासेड़

कालूराम पुत्र हरजीराम गुर्जर

निवासी सिडियास

**अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**–: निर्णय :–**

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बासेड़ ने अप्रार्थी के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 236 में किस्म बा.1 मेंसे रकबा 0.1600 हैक्ट. भूमि में बाडा बना कर अतिकमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते बजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी कालूराम से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुउपस्थित रहा अतः एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती ।

पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो एवमं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम सिडियास के खसरा नम्बर 236 में किस्म बा.1 मेंसे रकबा 0.1600 हेक्ट. भूमि पर अतिकमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिकमित रकबा 0.1600 हेक्ट. भूमि के 0.96 रूपये लगान का 50 गुणा 48 / – अक्षरे अड़तालीस रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर